भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5443
दिनांक 03.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

बरेली में भूजल संरक्षण के लिए विशेष योजना

5443. श्री छत्रपाल सिंह गंगवारः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) बरेली में स्वच्छ जलापूर्ति से संबंधित ब्यौरा क्या है और जल जीवन मिशन (जेजेएम) की प्रगति क्या है;
(ख) क्या बरेली में भूजल संरक्षण के लिए कोई विशेष योजना क्रियान्वित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) उक्त क्षेत्र में गंगा की सफाई में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजन के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता और पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित तथा पीने योग्य नल जल की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, भारत सरकार ने अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से कार्यान्वित किए जा रहे जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) की प्रगति के बारे में बरेली सहित राज्य/जिला-वार विवरण https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx पर जेजेएम आईएमआईएस डैशबोर्ड पर उपलब्ध है।

(ख): बरेली सहित देश में भूजल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। प्रमुख पहलों में से एक, जल शक्ति अभियान - कैच द रेन अभियान, अपने विभिन्न संस्करणों में, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाओं, पारंपरिक जल निकायों के नवीनीकरण, पुन: उपयोग तथा पुनर्भरण संरचनाओं, वाटरशेड विकास आदि पर केंद्रित है। इसके अलावा, जेएसए: सीटीआर के तहत एक विशेष पहल जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) 6 सितंबर 2024 को शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य सहयोगी समुदाय-संचालित जल संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना है और स्थानीय समुदायों, उद्योगों तथा अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए, कम लागत, वैज्ञानिक रूप से डिज़ाइन की गई कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से जल प्रबंधन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके अतिरिक्त, बोरवेल पुनर्भरण संरचनाओं के लिए जेजेएम कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रोत्साहित/सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, भारत सरकार 7 राज्यों अर्थात हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में 8,213 जल की कमी वाली ग्राम पंचायतों (जीपी) में अटल भूजल योजना भी कार्यान्वित कर रही है ताकि खेतों में जल की भौतिक पहुंच बढ़ाई जा सके और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सके, कृषि जल उपयोग दक्षता में सुधार किया जा सके, स्थायी जल संरक्षण व्यवहारों, आदि को शुरु किया जा सके।

(ग): नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत, गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों की सफाई और पुनरुद्धार के लिए विविध तथा समग्र उपाय किए गए हैं। इन हस्तक्षेपों में ई-फ्लो, ग्रामीण स्वच्छता, वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण, जन भागीदारी आदि सुनिश्चित करते हुए, अपशिष्ट जल शोधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नदी मुहाना प्रबंधन (घाट और शवदाहगृह) शामिल हैं। जनवरी 2025 तक, 40,121.48 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कुल 492 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 307 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कार्यशील हैं।

विशेष रूप से, बरेली, उत्तर प्रदेश में 63 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) एसटीपी के निर्माण के लिए 271.39 करोड़ रुपये की लागत वाला एक सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) स्वीकृत किया गया है, जिसका कार्य पूरा कर लिया गया है और इसे शुरू कर दिया गया है।

****